ज्ञाप संख्या—1

संख्या 32/21/1983—कार्मिक—2

प्रेषक,

श्री हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1—समस्त सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग—2 लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 1985 ।

विषय—कुशल खिलाड़ियों को राज्याधीन समूह "ख" व समूह "ग" की सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा से छूट ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या [illegible]/75—कार्मिक—4, दिनांक 11 फरवरी, 1975 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा कुशल खिलाड़ियों के लिये लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर की वर्ग—3 की सेवाओं में भर्ती हेतु आरक्षण एवं आयु-सीमा से छूट की व्यवस्था की गई थी । कालान्तर में इस कार्यालय-ज्ञाप में दी गई आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो गई । वर्तमान में केवल आयु-सीमा से छूट ही अनुमन्य है । शासन के विचाराधीन यह प्रस्ताव आया कि कुशल खिलाड़ियों के लिये समूह "ख" व "ग" में समस्त पदों पर भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाय ।

2—उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन ने लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि राज्याधीन समूह "ख" व समूह "ग" की समस्त सेवाओं/पदों, चाहे वह लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हों या उसके बाहर हों, पर भर्ती हेतु वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा से 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाये । वर्गीकृत खेलों के नाम, प्रमाण-पत्रों के प्रारूप, प्रमाण-पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी तथा कुशल खिलाड़ियों की परिभाषा वही रहेगी जैसे कि संलग्न कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 फरवरी, 1975 में दिये गये हैं ।

3—यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे किन्तु ऐसे मामलों में जहां चयन हो चुके हैं या किसी चयन की कार्यवाही इस शासनादेश की तिथि से पहले ही आरम्भ की जा चुकी है, यह आदेश लागू नहीं माने जायेंगे । कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें । आवश्यकतानुसार संगत सेवा नियमों में भी इस आशय का प्राविधान कर लिया जाय ।

भवदीय,
हरीश चन्द्र गुप्त,
विशेष सचिव ।

संलग्नक: यथोक्त

पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना)
उ०प्र०, लखनऊ

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..........................आत्मज पत्नी/आत्मजा श्री ....निवासी (पूरा नाम)..में........................स्कूल में कक्षा ....के विद्यार्थी ने दिनांक..से दिनांक तक.......................... ......(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ....(क्रीडा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में..........................स्कूल की ओर से भाग लिया।

उनके/टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में........................स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान..

दिनांक..

हस्ताक्षर..

नाम..

पद..

पता..

संस्था का नाम..

मुहर..

(यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप–निदेशन डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा....................द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।)

□□□

4. नागरिक पुलिस के उप निरीक्षक/कान्स्टेबुल पद हेतु

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में भी कुशल खिलाड़ियों के पदों के आरक्षण के सन्दर्भ में कुछ विशेष निर्णय लिये हैं जिन्हें नियुक्ति विभाग के आदेश संख्या 22/15/1986 कार्मिक–2 दिनांक 8 मई 1987 द्वारा समस्त सरकारी विभागाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारों को प्रसारित किया गया है। इस आदेश के अनुसार उप–निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा कान्स्टेबुल के पदों पर भर्ती हेतु कुल रिक्तियों की 2 प्रतिशत के बराबर रिक्तियाँ अलग कर ली जायेंगी और इन रिक्तयों पर केवल कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की जायगी किन्तु शर्त यह है कि ऐसे चयनों में शासनादेश संख्या 22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 में व्यवस्थित आयु सीमा के अतिरिक्त आयु सीमा में और कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। चयन की प्रक्रिया शैक्षिक योग्यता, चिकित्सीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र आदि की निर्धारित व्यवस्थाओं से भी कोई छूट अनुमन्य न होगी।

उपनिरीक्षक पद के लिये कुशल खिलाड़ी वे होंगे जिन्होंने किसी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रूप से प्रथम अथवा द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो अथवा वे किसी ऐसी टीम के सदस्य रहे हों जिसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम अथवा द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो। कान्स्टेबुल पद के लिये कुशल खिलाड़ी वे माने जायेंगे जो नियुक्ति अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी–52/2–4–75 दिनांक 11 फरवरी 1975 में व्यक्त परिभाषा के अन्तर्गत आते हों साथ ही उन्हीं खेलों/क्रीड़ाओं की अनुमन्यता होगी जो उक्त कार्यालय ज्ञाप में वर्णित हैं।

□□□

शासनादेश

1. कुशल खिलाड़ियों की परीभाषा

संख्या : 22/15/1986–कार्मिक–2

प्रेषक,

कालिका प्रसाद,

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2—निदेशक, खेलकूद, निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 1993

कार्मिक अनुभाग—2

विषय : नागरिक पुलिस/पी0ए0सी0 के उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर/कान्सटेबुल के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समसंख्यक शासनादेश दिनांक 8 मई, 1987 द्वारा नागरिक पुलिस के उप निरीक्षक/कान्सटेबुल तथा समसंख्यक शासनादेश दिनांक 15 जून, 1990 द्वारा पी0ए0सी0 के उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर/कान्सटेबल के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु कुल रिक्तियों के दो प्रतिशत के बराबर रिक्तियों पर चयन हेतु सुविधा कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य कराई गई थी। गृह विभाग द्वारा उक्त शासनादेशों में कतिपय संशोधन के प्रस्तावों पर सम्यक् परीक्षण कर शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

(1) नागरिक पुलिस/पी0ए0सी0 के उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर/कान्सटेबुल के पदों पर भर्ती हेतु सीधी भर्ती तथा विभागीय भर्ती की रिक्तियों को मिलाकर उनमें से दो प्रतिशत रिक्तियां अलग कर ली जायेंगी जिन्हें कुशल खिलाड़ियों से भरा जाएगा जिसके लिए निर्धारित अर्हताएं/अपेक्षाएं पूर्ण करने वाले "ओपेनमार्केट" के कुशल खिलाड़ियों तथा विभागीय कुशल खिलाड़ियों को पात्र माना जाएगा।

(2) ऐसे चयनों में शासनादेश संख्या 22/21/1983—कार्मिक—2, दिनांक 28 नवम्बर, 1985 में व्यवस्थित आयु सीमा के अतिरिक्त आयु सीमा में और कोई छूट अनुमन्य न होगी।

(3) चयन की प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण—पत्र आदि की निर्धारित व्यवस्थाओं में भी कोई छूट अनुमन्य न होगी।

(4) कुशल खिलाड़ियों की प्रोन्नति भी "आउट आफ टर्न" नहीं की जायेगी।

2. इस प्रकार से भर्ती हेतु कुशल खिलाड़ियों की परिभाषा निम्नवत् होगी :—

(1) उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर पद के लिए कुशल खिलाड़ी वे होंगे जिन्होंने किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रूप से प्रथम अथवा द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा वे किसी ऐसी टीम के सदस्य रहे हों जिसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो। टीम का अभिप्राय उन खेलों की टीमों से है जिसमें केवल टीमें ही भाग लेती हैं।

1-एथलेटिक्स (टैक तथा फील्ड सम्बन्धी क्रीड़ाओं सहित), 2- बैडमिन्टन, 3- बास्केटबाल, 4- क्रिकेट, 5- फुटबाल, 6- हाकी, 7- तैराकी, 8- टेबिल टेनिस, 9- बालीबाल, 10- टेनिस, 11- भारोत्तोलन, 12- कुश्ती, 13-बोक्सिंग, 14- साइकिलिंग, 15- जिमनास्टिक, 16- जूडो/ताइक्वान्डो, 17- राइफलसूटिंग, 18- कबडडी, 19- खो—खो, 20- हैंडबाल।

(2) कान्स्टेबुल के पद के लिए कुशल खिलाड़ी वे माने जायेंगे, जो नियुक्ति अनुभाग—4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी—52/2—4—75, दिनांक 11 फरवरी, 1975 में व्यक्त निम्नलिखित परिभाषा के अनुसार अर्हताएं पूर्ण करते हों :—

(क) पार्श्वांकित खेल/क्रीड़ा में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या अपने देश की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 वर्ष तक भाग लिया हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम से कम एक वर्ष तक भाग लिया हो।

(ख) पार्श्वांकित खेल/क्रीड़ा में अन्तर्विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित अन्त विश्वविद्यालय टूर्नामेन्ट में अपने विश्वविद्यालय की ओर से 3 वर्षों तक भाग लेने वाले खिलाड़ी।

(ग) पार्श्वांकित खेल/क्रीड़ा में अखिल भारतीय/प्रान्तीय स्कूल खेलकूद संघ द्वारा आयोजित स्कूलों की प्रान्तीय क्रीड़ा/खेलों में जनपद की स्कूल टीम की ओर भाग लेने वाले खिलाड़ी।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। कृपया अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को इन आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें।

4. शासनादेश संख्या 22/15/1986–कार्मिक–2, दिनांक 8 मई, 1987 तथा समसंख्यक शासनादेश दिनांक 15 जून, 1990 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

कालिका प्रसाद,

सचिव।

□□□

2. खिलाड़ियों को शारीरिक योग्यता में छूट दिया जाना

संख्या : 22/15/86–का0–2/95

प्रेषक,

आर0बी0 भास्कर

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उ0प्र0 शासन।

लखनऊ : दिनांक : 18 फरवरी, 1995

विषय : समस्त विभागों में नियुक्ति हेतु खिलाड़ियों को शारीरिक योग्यता में छूट दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी लोक सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिये शारीरिक योग्यता का निर्धारण संगत सेवानियमावली या प्रशासकीय आदेशों में किया जाता है।

2. शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त विभागों में भर्ती हेतु खिलाड़ियों को शारीरिक योग्यता, यदि निर्धारित हो, में छूट देने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय। उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु संगत सेवा नियमावली में तद्नुसार संशोधन किया जाना आवश्यक है, ताकि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित पद पर भर्ती के समय इस प्रकार की छूट देते हुए भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराई जा सके।

3. कृपया उपरोक्तानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आर0बी0 भास्कर, सचिव।

□□□

3. लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण

संख्या : 18/1/99–का–2/99

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–2

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 1999

विषय : राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण।